न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल सं.170 / रेफरेंस / 10 (GCMS No. 2010 / 00032)	22.09.2010	06.10.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

देवलाल, भैरूलाल पि0 काल्या,
देवली पुत्री काल्या, पानाबाई बेवा काल्या कौम गुर्जर,
निवासी ग्राम तीखाबड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82(2)
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री कपिल सैनी, एडवोकेट।

निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी ने अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम तीखाबडा के खसरा संख्या 308 रकबा 12 बिस्वा को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म 'गे.मु.नदी' राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थीगण के नाम की अवैध प्रविष्ठी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित न्यायालय आये, किन्तु जवाब पेश नहीं किया जाकर बहस की गई।

तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा संख्या 96 मिन) की किस्म 1947 से पूर्व 'नदी' दर्ज रेकार्ड थी, जो पानी के बहाव के काम में आती थी तथा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थी के खाते में दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को पूर्वानुसार नदी राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि वादग्रस्त आराजी कभी गैर मुमकिन नदी नहीं रही हैं और न ही इस भूमि में पानी भरता है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी लगातार काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थी बहैसियत खातेदार काश्त कर रहे है, यही भूमि अप्रार्थी की आजीविका का साधन है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय इस प्रकरण में लागू नही होता है। अतः रेफरेंस प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2000 से 2004, मिलान क्षेत्रफल 2028 से 2047 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम तीखाबडा की विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या **96 मिन** थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म **नदी** अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरूद्व है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र सं. 9213–9244 दिनांक 13.11.07 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम तीखाबडा में विस्थित भूमि वर्तमान खसरा सं.96 मिन रकबा 12 बिस्वा पर अप्रार्थीगण को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु.नदी दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जाता है। अतः पत्रावली फैसले में शुमार होकर रेफरेंस प्रकरण निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाया जावें।

आदेश आंज दिनांक 06.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी